

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26804/2026**

पंकज कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : करुणेश प्रताप सिंहविपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55**माननीय विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति**

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि निर्देश प्राप्त हो चुके हैं तथा कोई आपत्ति नहीं है यदि जमानत आवेदन को गुण-दोष के आधार पर सुना जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ब्लॉक मिशन मैनेजर के पद पर तैनात है तथा उसके द्वारा ₹50,000/- की मांग किए जाने का आरोप है। तत्पश्चात, ट्रैप टीम गठित की गई और आवेदक के पास से ₹10,000/- की राशि बरामद की गई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 01.07.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु मामले के तथ्यात्मक स्वरूप से इनकार नहीं किया।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे आवेदक के आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त का संकेत मिले और जिसके कारण आवेदक जमानत पाने से वंचित हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने विवेचना अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. यह सिद्धांत कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद” है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर भली-भांति मान्य किया गया है। इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय के द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 (10) एससीसी 51 के मामले में पुनः दोहराया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।

8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य, सामग्री अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अथवा उसका चरित्र ऐसा है कि खुले में उसकी मात्र उपस्थिति से गवाह भयभीत होंगे, अथवा वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई ठोस सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दिखाई गई है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक न्याय से फरार हो सकता है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, पुनः अपराध कर सकता है अथवा गवाहों को धमका सकता है।

10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है जिससे यह सिद्ध हो कि व्यापक जनहित अथवा राज्य के हित में अभियुक्त/आवेदक को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. मुकदमा अपराध संख्या 08/2026, अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना-एंटी करप्शन बस्ती, जनपद-बस्ती में संलिप्त आवेदक- **पंकज कुमार** को संबंधित न्यायालय की

संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ भयभीत नहीं करेगा।
- iii. आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और/या जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए आवश्यक समझा जाए, वह स्वयं को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के उद्देश्य से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।
- vii. यदि, आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, आवेदक नए आवासीय पते की सूचना संबंधित न्यायालय को लिखित रूप में देगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

अगस्त 03, 2026